रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003−05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, फरवरी 24—मार्च 2, 2019, शनिवार/फाल्गुन 5—फाल्गुन 11, 1940

No. 9] NEW DELHI, FEBRUARY 24—MARCH 2, 2019, SATURDAY/PHALGUNA 5— PHALGUNA—11, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(माल और सेवा कर परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 58.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के समूह "क" कार्यपालक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, संयुक्त सचिव, समूह "क" कार्यपालक पद भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्तपदों की संख्या, उनका वर्गीकरणऔर वेतन मैट्रिक्स में स्तर वेहोंगेजो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं,उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. संयुक्त सचिव	4* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण, केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर-14

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आय-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रतिनियुक्तिया स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमोलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति :- I. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के अधिकारियों में से पचास प्रतिशत,- (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 या समतुल्य मेंनियुक्ति के पश्चात श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और II. राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों से पचास प्रतिशत,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 या समकक्ष ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों मेंतीन वर्षों के अनुभव सहित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या अखिल भारतीय सेवा में पंद्रह वर्षों का अनुभव रखते हों। टिप्पण 1:- उपरोक्त राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित कोटा से न भरी गई शेष रिक्तियां नीचे दी गई पात्रता के अध्यधीन केंद्रीय सरकार के अधिकारियों जिसमें भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क) के अधिकारी भी शामिल हैं, से भरी जाएगी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 या समकक्ष में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो समूह 'क'पद में पंद्रह वर्ष का अनुभव रखते हों जिसमें अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में तीन वर्ष का अनुभव भी शामिल है। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधिसाधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसके अंतर्गतकेन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है। टिप्पण 3 -: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के किसी अधिकारी की नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-50050/280/2016-प्रशा.I]

राजेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(GOODS AND SERVICES TAX COUNCIL SECRETARIAT)

New Delhi, the 26th February, 2019

G.S.R. 58.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' Executive post of Joint Secretary in the Goods and Services Tax Council Secretariat, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Goods and Services Tax Council Secretariat, Joint Secretary, Group 'A' Executive Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Joint Secretary	4* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' , Gazetted, Ministerial.	Level 14 (Rs.144200-218200) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
(11)
Deputation: I. Fifty per cent. of the officers from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise),- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto in Level-13 in the pay matrix for equivalent in the parent cadre or Department. II. Fifty per cent. from officers of the State Governments or Union territories,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto in the grade in level-13 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or the Department; and (b) having fifteen years' experience in the State Union territory or All India Service including three years' experience in matters relating to indirect taxation. **Note 1:** Vacancies remaining unfilled from the quota allocated to the State Governments or Union territories above shall be filled up from the officers of the Central Government including officers of Indian Revenue Service (Customs and Central Excise),subject to the eligibility as below:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-13 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) having fifteen years' experience in a Group A post, including three years' experience in matters relating to indirect taxation. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 58 years as on the last date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer of the State Government or Union territory.

[F. No. A-50050/280/2016-Ad. I]

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के बहु कार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद) उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक